बैठक की कार्यवाही

दिनांक–01.06.2017 को राज्य के निजी विद्यालय को सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0ई0 बोर्ड से संबंधता हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने के संबंध में माननीय मंत्री शिक्षा विभाग, बिहार की अध्यक्षता में आहुत बैठक की कार्यवाही:–

उपस्थिति

(1) प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।
(2) निदेशक, माध्यमिक शिक्षा बिहार, पटना।
(3) विशेष निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिहार, पटना।

बैठक में सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिये गये:–

प्रस्ताव संख्या–1

विद्यालयों की स्थलीय जांच हेतु गठित समिति से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन एवं शपथ पत्र के आधार पर समीक्षोपरांत समिति द्वारा निम्नांकित विद्यालयों को अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया :–

(1) माउण्ट लिटरा जी स्कूल, बाढ़।
(2) संत मेरी स्कूल बेल्दारीचक कंसरी, पटना।
(3) विशप स्कॉट व्याज स्कूल, चैनपुर, पटना।
(4) माउण्ट लिटरा जी स्कूल, बिहिटा।
(5) विशप स्कॉट सिनियर सेकेण्डरी गर्ल्स स्कूल, चैनपुर, पटना।
(6) रजनीकान्त पब्लिक स्कूल, सुपौल।
(7) उर्सलाईन कॉन्वेट इंगलिश मिडियम स्कूल, पूर्णिया सिटी।
(8) मदर टेरेसा एकेडमी, बेनीपुरी, दरभंगा।
(9) जी0 डी0 गोयंका पब्लिक स्कूल, गया पटना मेन रोड़, रसलपुर, गया।
(10) आर0 एस0 इन्टरनेशनल स्कूल, अधिकारी नगर, अंछा, दाउदनगर, औरंगाबाद।
(11) मगध इन्टरनेशनल स्कूल, ब्लौक रोड़, टेकारी गया।
(12) दिल्ली पब्लिक वर्ल्ड स्कूल, वैरिया सम्पतचक।
(13) फांडेशन एकेडमी, आई0 आई0 टी0 कैम्पस, बिहटा, पटना।
(14) माउन्ट लिट्रा जी स्कूल, भूसाही, बोचहा, मुजफ्फरपुर।
(15) संत फांसिस एकेडमी, छोटा बरियापुर मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण।

अनापत्ति प्रमाण–पत्र संलग्न प्रारूप (अनुलग्नक–1 एवं 2) में निर्गत किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या–2

विद्यालय प्रबंधन से प्राप्त प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत समिति द्वारा निम्नांकित विद्यालायों के नाम/स्थल परिर्वतन करने का निर्णय लिया गया :–

(1) कृष्णा सुदर्शन पब्लिक स्कूल, यूसूफ गार्डेन, रोड़ बाढ़, पटना।

प्रस्ताव संख्या –3

निरीक्षण समिति से प्राप्त विद्यालय के जांच प्रतिवेदन में वैसे विद्यालय जिनमें कुछ कमी पाई गयी, के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि विद्यालय प्रबंधन से वांछित प्रतिवेदन प्राप्त कर समिति की आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय :–

(1) डी0 ए0 भी0 पब्लिक स्कूल बनियापुर, सारण।
(2) इडेन हाईस्कूल एण्ड जूनियर कॉलेज, बनियापुर, छपरा।
(3) विशॅप स्काट स्कूल दहियावॉ टोला, टारी, छपरा।
(4) जज्बा वर्ल्ड स्कूल, जिनेरचक, खिजरसराय।
(5) शारदा विद्या मंदिर, राम कहुआरा, नवादा।
(6) बी0 पी0 एन0 ग्लोबल स्कूल, चटवा रोड़, चिरैली, टिकारी।
(7) मानस इन्टरनेशनल स्कूल, सूरजपुर तुलसी हुलासगंज, जहानाबाद।
(8) लक्ष्मी पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी बिहार बेल रोड़ ओबरा, औरगंबाद।
(9) जीवन इन्टरनेशनल स्कूल, सिंघिया हिबन, बंजरिया, पूर्वी चम्पारण।
(10) नूनवती पब्लिक स्कूल, रोहुआ आपुछ, मुशहरी, मुजफ्फरपुर।
(11) सेकड हार्ट मिशन स्कूल, जलालपुर पोखरा, गुल्टेनगंज, सारण।
(12) डी0 पी0 एस0 रेसिडेन्सीयल, कईलगढ़ बड़रिया, सिवान।
(13) मानव भारती पब्लिक स्कूल, पहाड़पुर, चण्डी, शेरघाटी, गया।
(14) आर0 एम0 पब्लिक स्कूल शफापुर, विसम्भरपुर, गोपालगंज।
(15) होली फैमली स्कूल, गुरूकूल मेहिया, छपरा।

प्रस्ताव संख्या–4

बैठक में इस बिन्दु पर गहन रूप से विचार किया गया की विभाग द्वारा विद्यालयों की जांच हेतु गठित समिति को हो रही असुविधा एवं विलंब के कारण सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पूर्व की भांति कार्यपालक दण्डाधिकारी/प्रथम श्रेणी दण्डाधिकारी के शपथ पत्र के साथ प्राप्त प्रस्ताव पर जांचोपरान्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाय एवं कार्यरत निरीक्षण समिति को निरस्त किया जाय।

प्रस्ताव संख्या–5

बैठक में सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया गया कि जांच हेतु गठित समिति को समर्पित निजी विद्यालयों के वैसे प्रस्ताव जिनका जांच प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया जा सका है, के प्रस्ताव की समीक्षा कर आगामी बैठक में रखा जाय, जिन विद्यालयों का प्रस्ताव विभाग में उपलब्ध नहीं होगा, वैसे विद्यालयों के प्रबंधन से पुनः प्रस्ताव प्राप्त कर आगामी बैठक में निर्णय लिया जाय।

प्रस्ताव संख्या–6

अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु प्रत्येक दो माह पर विभागीय समिति की बैठक आहूत करने का भी निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

विशेष निदेशक, (मा० शि०) शिक्षा विभाग	निदेशक, (मा० शि०) शिक्षा विभाग	प्रधान सचिव शिक्षा विभाग	माननीय मंत्री शिक्षा विभाग

अनुलग्नकः–01

पत्रांकः–10/न–../2017........................

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

प्रेषक

............................,
विशेष निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)

सेवा में

अध्यक्ष,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा केन्द्र, 2 कम्युनिटी सेंटर,
नई दिल्ली–110092

पटना, दिनांक...............................

विषयः– **(विद्यालय का नाम एवं पता................) को CBSE बोर्ड, नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि **(विद्यालय का नाम एवं पता..... ....)** को अनापत्ति प्रमाण–पत्र देने के संबंध में उक्त विद्यालय के प्राचार्य/सचिव/विद्यालय प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष लिये गये शपथ–पत्र के साथ संलग्न उक्त विद्यालय के अभिलेखों/कागजातों एवं जांच समिति के प्रतिवेदन की समीक्षा विभाग की सक्षम समिति द्वारा की गयी। तद्नुसार विद्यालय की स्थिति निम्न प्रकार पाई गईः–

1. यह विद्यालय **(ट्रस्ट का नाम..........)** के अधीन संचालित है। इस ट्रस्ट में किसी एक व्यक्ति/परिवार का प्रभुत्व नहीं है। सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य का ब्यौरा दिया गया है तथा शपथ पत्र भी दिया गया है।
2. विद्यालय प्रबंधन द्वारा किसी अन्य निबंधित सोसाइटी/न्यास के फेन्चाईजी अथवा किसी विद्यालय के ब्रांड नेम उपयोग नहीं करने का दावा किया है।
3. विद्यालय को .... भूमि .... वर्षो लीज पर उपलब्ध है। विद्यालय का भवन है तथा पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला उपलब्ध हैं। **केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को स्थल निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना होगा कि विद्यालय की आधारभूत संरचना एवं अन्य सभी सुविधायें बोर्ड के मानक के अनुरूप है अथवा नहीं।**
4. विद्यालय में शिक्षक नियुक्ति है। विद्यालय में (कुल ....) शिक्षक है। **सी0 बी0 एस0 ई0, नई दिल्ली को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षकों की नियुक्ति, उनकी योग्यता एवं प्रशिक्षण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मापदण्डों के अनुरूप है अथवा नहीं।**
5. विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ाये जाने का दावा किया गया है।
6. विद्यालय द्वारा निर्धारित, शुल्कों, वार्षिक लेखा अंकेक्षण तथा वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिवर्ष सार्वजनिक करने का आश्वासन दिया गया है। विद्यालय अपने आश्वासन के अनुरूप कार्रवाई करे इसे सी0 बी0 एस0 ई0, नई दिल्ली को सुनिश्चित करना होगा।
7. विद्यालय के द्वारा लिखित रूप से सहमति दी गयी है कि **उसे विभागीय अधिसूचना** संख्या–238, दिनांक–04.04.2006 में उल्लेखित अपेक्षित शर्ते स्वीकार है।

अपेक्षित शर्तो के अनुसारः–

(i) विद्यालय में कुल क्षमता का 25 प्रतिशत निः शुल्क नामांकन पड़ोस में निवास करने वाले परिवार के बच्चों को किया जायेगा तथा उनसे ट्यूशन शुल्क अथवा किसी अन्य प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा। ऐसे बच्चों की श्रेणी में अनुसूचित जाति, अनु0 जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत

पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग बालिकाएं तथा सामान्य श्रेणी के परिवार जिनकी आय प्रतिवर्ष रूपया 2,00,000/–(दो लाख रूपये मात्र) से कम होगा, को रखा गया है।

(ii) विद्यालय में नर्सरी/के0 जी0 अथवा प्राथमिक कक्षा में नामांकन के लिए किसी तरह की प्रवेश परीक्षा/साक्षात्कार (बच्चों एवं माता/पिता सहित) नहीं लिया जायेगा। अगर नामांकन के लिए आवेदन निर्धारित क्षमता से अधिक हो तो खुले तरीका से Draw of Lots के माध्यम से नामांकन के लिए बच्चों का चयन किया जायेगा।

(iii) नर्सरी/के0जी0 तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रवेश लेने वाले बच्चों का विद्यालय से आवास की दूरी अधिकतम एक किलामीटर एवं उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा में नामांकन हेतु अधिकतम दूरी तीन किलोमीटर तक रहेगी।

(iv) जिन बच्चों का नामांकन नहीं होता है उनसे ली गई आवेदन शुल्क की राशि का 80 प्रतिशत राशि वापस लौटाने की व्यवस्था होगी।

8. यद्यपि कि विद्यालय का प्रबंधन द्वारा सभी अनिवार्य शर्त्तो को पूरा करने के संबंध में शपथ पत्र के माध्यम से दावा किया गया है, फिर भी **सी0 बी0 एस0 ई0, नई दिल्ली अपने स्तर से जाँच कर यह सुनिश्चित हो लें कि विद्यालय उनके द्वारा निर्धारित मापदण्ड के आधार पर संचालित है।**

9. **साथ ही सी0 बी0 एस0 ई0, को यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित विद्यालय के द्वारा अपनी सहमति के अनुसार अनिवार्य एवं अपेक्षित शर्त्तो का अनुपालन किया जा रहा है।** स्कूल को यह शर्त्त सार्वजनिक करनी होगी तथा इसका उल्लेख प्रोस्पेक्टस एवं वेबसाईट में करना होगा। शर्त्तो के उल्लंघन की स्थिति में अनापत्ति प्रमाण–पत्र वापस ले लिया जायेगा तथा सम्बद्धन रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी।

10. विभागीय पत्रांक–46, दिनांक–18.01.2008 द्वारा शिक्षक/छात्रों को शारीरिक दण्ड नहीं दिए जाने संबंधी आदेशों का विद्यालयों द्वारा पालन करना होगा।

11. **विद्यालय, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग अथवा स्वास्थ्य विभाग के निरीक्षी पदाधिकारी के द्वारा निरीक्षण हेतु किसी भी समय खुला रहेगा।**

उपर्युक्त वर्णित शर्त्तो के आलोक में विभागीय समिति द्वारा लिय गये निर्णसानुसार (**विद्यालय का नाम एवं पता...............**)को सी0 बी0 एस0 ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र इस शर्त्त के साथ प्रदान किया जाता है कि सी0 बी0 एस0 ई0 अपने स्तर से संतुष्ट होने पर ही विद्यालय की संबंधता देने पर विचार करेगी।

विश्वासभाजन

(.......................)
विशेष निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)

ज्ञापांक :–10/न–.../2017 .... पटना, दिनांक................................

प्रतिलिपि :– जिला शिक्षा पदाधिकारी, ... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित।

विशेष निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)

ज्ञापांक :–10/न–0.../2017......................... पटना, दिनांक...............................

प्रतिलिपि:– प्राचार्य, (**विद्यालय का नाम एवं पता...............**) सूचनार्थ, एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

विशेष निदेशक,(माध्यमिक शिक्षा)

अनुलग्नकः–02

पत्रांकः–10 / न–.. / 2017.........................

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

प्रेषक

.............................,

विशेष निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)

सेवा में

The Chief Executive and secretary
Council for the Indian School
Certificate Examination
Pragati House, 3rd Floor
47-48 Nehru Place New Delhi-110019.

पटना, दिनांक...............................

विषयः– **(विद्यालय का नाम एवं पता................) को C.I.S.C.E बोर्ड, नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि (**विद्यालय का नाम एवं पता..... ....**) को अनापत्ति प्रमाण–पत्र देने के संबंध में उक्त विद्यालय के प्राचार्य / सचिव / विद्यालय प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष लिये गये शपथ–पत्र के साथ संलग्न उक्त विद्यालय के अभिलेखों / कागजातों एवं जांच समिति के प्रतिवेदन की समीक्षा विभाग की सक्षम समिति द्वारा की गयी। तद्नुसार विद्यालय की स्थिति निम्न प्रकार पाई गईः–

1. यह विद्यालय (**ट्रस्ट का नाम...........**) के अधीन संचालित है। इस ट्रस्ट में किसी एक व्यक्ति / परिवार का प्रभुत्व नहीं है। सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य का ब्यौरा दिया गया है तथा शपथ पत्र भी दिया गया है।
2. विद्यालय प्रबंधन द्वारा किसी अन्य निबंधित सोसाइटी / न्यास के फेन्चाईजी अथवा किसी विद्यालय के ब्रांड नेम उपयोग नहीं करने का दावा किया है।
3. विद्यालय को .... भूमि .... वर्षो लीज पर उपलब्ध है। विद्यालय का भवन है तथा पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला उपलब्ध हैं। **C.I.S.C.E को स्थल निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना होगा कि विद्यालय की आधारभूत संरचना एवं अन्य सभी सुविधायें बोर्ड के मानक के अनुरूप है अथवा नहीं।**
4. विद्यालय में शिक्षक नियुक्ति है। विद्यालय में (कुल ....) शिक्षक है। **C.I.S.C.E, नई दिल्ली को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षकों की नियुक्ति, उनकी योग्यता एवं प्रशिक्षण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मापदण्डों के अनुरूप है अथवा नहीं।**
5. विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ाये जाने का दावा किया गया है।
6. विद्यालय द्वारा निर्धारित, शुल्कों, वार्षिक लेखा अंकेक्षण तथा वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिवर्ष सार्वजनिक करने का आश्वासन दिया गया है। विद्यालय अपने आश्वासन के अनुरूप कार्रवाई करे इसे **C.I.S.C.E**, नई दिल्ली को सुनिश्चित करना होगा।
7. विद्यालय के द्वारा लिखित रूप से सहमति दी गयी है कि उसे विभागीय अधिसूचना संख्या–238, दिनांक–04.04.2006 में उल्लेखित अपेक्षित शर्तें स्वीकार है।

अपेक्षित शर्तो के अनुसारः–

(i) विद्यालय में कुल क्षमता का 25 प्रतिशत निः शुल्क नामांकन पड़ोस में निवास करने वाले परिवार के बच्चों को किया जायेगा तथा उनसे ट्यूशन शुल्क अथवा किसी अन्य प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा। ऐसे बच्चों की श्रेणी में अनुसूचित जाति, अनु० जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत

पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग बालिकाएं तथा सामान्य श्रेणी के परिवार जिनकी आय प्रतिवर्ष रूपया 2,00,000/–(दो लाख रूपये मात्र) से कम होगा, को रखा गया है।

(ii) विद्यालय में नर्सरी/के0 जी0 अथवा प्राथमिक कक्षा में नामांकन के लिए किसी तरह की प्रवेश परीक्षा/साक्षात्कार (बच्चों एवं माता/पिता सहित) नहीं लिया जायेगा। अगर नामांकन के लिए आवेदन निर्धारित क्षमता से अधिक हो तो खुले तरीका से Draw of Lots के माध्यम से नामांकन के लिए बच्चों का चयन किया जायेगा।

(iii) नर्सरी/के0जी0 तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रवेश लेने वाले बच्चों का विद्यालय से आवास की दूरी अधिकतम एक किलामीटर एवं उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा में नामांकन हेतुं अधिकतम दूरी तीन किलोमीटर तक रहेगी।

(iv) जिन बच्चों का नामांकन नहीं होता है उनसे ली गई आवेदन शुल्क की राशि का 80 प्रतिशत राशि वापस लौटाने की व्यवस्था होगी।

8. यद्यपि कि विद्यालय का प्रबंधन द्वारा सभी अनिवार्य शर्त्तो को पूरा करने के संबंध में शपथ पत्र के माध्यम से दावा किया गया है, फिर भी **C.I.S.C.E, नई दिल्ली अपने स्तर से जाँच कर यह सुनिश्चित हो लें कि विद्यालय उनके द्वारा निर्धारित मापदण्ड के आधार पर संचालित है।**

9. **साथ ही C.I.S.C.E को यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित विद्यालय के द्वारा अपनी सहमति के अनुसार अनिवार्य एवं अपेक्षित शर्त्तो का अनुपालन किया जा रहा है।** स्कूल को यह शर्त्त सार्वजनिक करनी होगी तथा इसका उल्लेख प्रोस्पेक्टस एवं वेबसाईट में करना होगा। शर्त्तो के उल्लंघन की स्थिति में अनापत्ति प्रमाण–पत्र वापस ले लिया जायेगा तथा सम्बद्धन रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी।

10. विभागीय पत्रांक–46, दिनांक–18.01.2008 द्वारा शिक्षक/छात्रों को शारीरिक दण्ड नहीं दिए जाने संबंधी आदेशों का विद्यालयों द्वारा पालन करना होगा।

11. **विद्यालय, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग अथवा स्वास्थ्य विभाग के निरीक्षी पदाधिकारी के द्वारा निरीक्षण हेतु किसी भी समय खुला रहेगा।**

उपर्युक्त वर्णित शर्त्तो के आलोक में विभागीय समिति द्वारा लिय गये निर्णसानुसार (**विद्यालय का नाम एवं पता................**)को **C.I.S.C.E**, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र इस शर्त्त के साथ प्रदान किया जाता है कि सी0 बी0 एस0 ई0 अपने स्तर से संतुष्ट होने पर ही विद्यालय की संबंधता देने पर विचार करेगी।

विश्वासभाजन

(.......................)
विशेष निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)

ज्ञापांक :–10/न–.../2017 .... पटना, दिनांक...............................

प्रतिलिपि :– जिला शिक्षा पदाधिकारी, ... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित।

विशेष निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)

ज्ञापांक :–10/न–0.../2017......................... पटना, दिनांक...............................

प्रतिलिपिः– प्राचार्य, (**विद्यालय का नाम एवं पता................**) सूचनार्थ, एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

विशेष निदेशक,(माध्यमिक शिक्षा)